



संख्या: प्रशासन/ले०प०/ए/2025/23

दिनांक: 08.01.2025

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांक संख्या प्रशासन/ले०प०/ए/2024/68, जिसे क्रमांक संख्या प्रशासन/ले०प०/रिटर्न/ यौन उत्पीड़न/2014-24/5270-81 दिनांक 22.03.2024 द्वारा प्रसारित किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए प्रधान महालेखाकार ने इस कार्यालय में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की है: -

In partial modification of office order No. Admn/Audit/A/2024/68, circulated vide endst No. Admn./ Audit/ Return/ S.H./ 2014-24/5270-81 dated 22.03.2024, Pr. Accountant General has been pleased to reconstitute the Committee for Redressal of Complaints of Sexual Harassment of Working Women in this office as under:-

(i)	सुश्री राजवंत कौर, IA&AS	उप महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-III), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले०प०) हि०प्र०, शिमला	अध्यक्ष
(ii)	श्री मनोहर लाल ग्रेवाल	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले०प०) हि०प्र०, शिमला	सदस्य
(iii)	सुश्री पूनम ठाकुर	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले०प०) हि०प्र०, शिमला	सदस्य
(iv)	श्री राम दास भवानी	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले०प०) हि०प्र०, शिमला	सदस्य
(v)	सुश्री गीतिका सूद	ज़ोनल प्रमोशन अध्यक्ष, इन्नर व्हील डिस्ट्रिक्ट क्लब (हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली के 308 इन्नर व्हील डिस्ट्रिक्ट क्लब) पता: सुश्री गीतिका सूद, पत्नी श्री राजीव सूद, 71, मिडिल बाज़ार शिमला मोबाइल नंबर 098168-88000	सदस्य गैर सरकारी संगठन (NGO)

प्राधिकार: प्रधान महालेखाकार आदेश
दिनांक 07.01.2025

हस्ता/-
वरिष्ठ उप- महालेखाकार (प्रशासन)
दिनांक: 08.01.2025

क्रमांक संख्या प्रशासन/ले०प०/ रिटर्न/ यौन उत्पीड़न/2014-24/3572-83

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

1. वरिष्ठ निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार
2. सभी समूह अधिकारी
3. सुश्री राजवंत कौर, उप. महालेखाकार (ले०प० प्र०स०-III)
4. सुश्री गीतिका सूद, 71, मिडिल बाज़ार शिमला- 171 001
5. श्री मनोहर लाल ग्रेवाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी।
6. सुश्री पूनम ठाकुर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी।
7. श्री राम दास भवानी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी।
8. कल्याण अधिकारी
9. मुख्यालय के सभी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी।
10. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (स्थापना/GD) को आशय के साथ कि समिति के डिस्प्ले बोर्ड तैयार करने और उन्हें गॉर्टन कैसल बिल्डिंग और रेलवे बोर्ड बिल्डिंग के प्रमुख स्थानों पर लगवाने का प्रबंध करें।
11. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (आईटी) को इस कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. कार्यालय के सभी अनुभाग।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)